न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या– 33/2016–17

अन्तर्गत धारा 219 भू0रा0अधि0 अथवा
धारा 333 उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0सुधार अधिनियम

राम प्रसाद लखेड़ा पुत्र स्व0 श्री विश्वम्बर दत्त लखेड़ा निवासी –अपर राजीव नगर देहरादून हाल कार्डिनेटर इमेज इन्डियन फाउन्डेशन देहरादून।

..निगरानीकर्ता

बनाम

1. उत्तराखण्ड राज्य द्वारा शासकीय अधिवक्ता राजस्व देहरादून। 2. नीरज बंसल पुत्र जे0एन0बंसल 3. श्रीमती उत्तरा बंसल पत्नी नीरज बंसल दोनों निवासीगण–20, अरविन्द मार्ग, देहरादून 4. जितेन्द्र कुमार पुत्र राम सिंह निवासी–वारीघाट जाखन राजपुर रोड देहरादून 5. अतरू पुत्र जगवीर निवासी–मौहम्मपुर बड़कली, जिला देहरादून 6. विक्रम सिंह थापा पुत्र लाल बहादुर थापा निवासी मौहम्मदपुर बड़कली, जिला देहरादून।

..उत्तरदातागण

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य (न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री दुर्गा प्रसाद बहुगुणा।

आदेश

यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त ने अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, कैम्प देहरादून द्वारा निगरानी संख्या–5/2016–17 नीरज बंसल आदि बनाम आर0पी0लखेड़ा में पारित निर्णयादेश दिनांक 1.7.2017 के विरूद्ध मुख्यतः इन आधारों पर प्रस्तुत की गयी, कि निगरानीकर्ता द्वारा विवादित भूमि के अवैध क्रय–विक्रय के संबंध में जिलाधिकारी, देहरादून को की गयी शिकायत एवं इस शिकायत के आधार पर गठित सर्वे टीम द्वारा की गयी पैमाईश एवं सर्वेक्षण के आधार पर राज्य सरकार एवं ग्राम समाज की 0.3735 है0 भूमि पर उत्तरदातागण 1 व 2 का अवैध एवं अनधिकृत अध्यासन की पुष्टि हुई जिसे मुक्त किये जाने संबंधी प्रशासनिक आदेश दिनांक 27.06.2017 के विरूद्ध उत्तरदातागण–1 व 2 ने एक निगरानी अपर आयुक्त गढ़वाल मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की एवं प्रथम तिथि पर ही अवर न्यायालय ने प्रशासनिक आदेश दिनांक 27.06.2017 निरस्त कर दिया जबकि उत्तराखण्ड सरकार उक्त निगरानी में आवश्यक पक्षकार थी जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही प्रथम तिथि पर निगरानी निस्तारित कर दी गयी, कि अधीनस्थ न्यायालय को प्रशासकीय आदेश को निरस्त करने का काई अधिकार नहीं था, कि आलोच्य प्रकरण में धारा 41, भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं था, कि यदि भू–माफियाओं द्वारा अवैध रूप से अध्यासित भूमि को मुक्त कराये जाने संबंधी प्रशासनिक आदेश यदि इस प्रकार निरस्त किये जाते रहे तो सभी प्रकार की सार्वजनिक एवं राज्य सरकार की भूमि पर भूमाफियाओं का अधिकार हो जायेगा एवं आक्षेपित आदेश को पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पूर्ण अवहेलना हुई है।

इस निगरानी की संक्षिप्त पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम मोहम्मदपुर बड़कली, परगना परवादून, तहसील डोईवाला, जिला देहरादून में स्थित त्यागी गार्डन के संबंध में की गयी शिकायत के क्रम में उक्त त्यागी गार्डन की भूमि की संयुक्त रूप से नापजोख वन विभाग व राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा की गयी एवं यह पाया गया कि उक्त त्यागी गार्डन के अन्तर्गत 0.3735 है0 भूमि नदी सुसवा अर्थात् ग्राम समाज की है। उक्त आशय की परगनाधिकारी, डोईवाला की आख्या दिनांक 17.06.2017 के आधार

पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन, देहरादून द्वारा दिनांक 27.06.2017 को पत्र उप जिलाधिकारी, डोईवाला को प्रेषित किया गया :–

" **उप जिलाधिकारी,**
डोईवाला।

विषय :– श्री आर0पी0लखेड़ा, उत्तराखण्ड कोर्डिनेटर इमेज इण्डियन फाउन्डेशन के शिकायती पत्र के संबंध में।

उपरोक्त विषयक आप द्वारा प्रेषित जांच आख्या दिनांक 17 जून, 2017 का अवलोकन किया गया। आपके द्वारा उल्लेख किया गया है कि मौके पर तयोगी गार्डन की चारदीवारी के अन्दर कुल 0.3735 है0 भूमि अधिक पायी गयी, जिसके संबंध में कोई विक्रय पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जो विक्रय पत्र उनके द्वारा दिखाये गये हैं उनमे से दो विक्रय पत्रों को छोड़कर किसी भी विक्रय पत्र में भूमि की सीमाएं/चौहद्दी नहीं दिखायी गयी है तथा लगभग सभी विक्रय पत्रों में विक्रेता दूसरा या तीसरा पक्ष है जो ग्राम में निवासरत् नहीं है। अतः आप उपरोक्त मौके पर पायी गयी अधिक भूमि 0.3735 है0 को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएं।

ह0/
हरबीर सिंह
अपर जिलाधिकारी(प्र0)
देहरादून। "

इस पत्र के संबंध में उत्तरदातागण 2 व 3 द्वारा विद्वान अपर आयुक्त गढ़वाल मण्डल के समक्ष एक निगरानी प्रस्तुत की गयी जिसमें आक्षेपित निर्णयादेश पारित किया गया।

मैंने निगरानी ग्रहण किये जाने के बिन्दु पर निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं निगरानी के साथ प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया।

प्रत्यक्ष रूप से विद्वान अपर आयुक्त गढ़वाल मण्डल के समक्ष प्रस्तुत निगरानी एक प्रशासनिक निर्णय/आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है जबकि निगरानी की ग्राहयता/पोषणीयता के संबंध में धारा 219 भू0रा0अधि0 एवं धारा 333 उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 333 के प्राविधान अति स्पष्ट हैं जिनके उल्लेख की यहां पर आवश्यकता नहीं है क्योंकि हर निगरानी न्यायालय को उसके समक्ष प्रस्तुत निगरानी की ग्राहयता एवं पोषणीयता के संबंध में इन प्राविधानों का स्पष्ट स्मरण होना एवं उनका संज्ञान लेना विधितः अनिवार्य है।

आक्षेपित आदेश निगरानी के प्रस्तुतीकरण की तिथि पर ही पारित किया गया है एवं स्वीकार्य रूप से उस निगरानी के विपक्षीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही इसे पारित किया गया है। तात्कालिकता की स्थिति में भी विद्वान अपर आयुक्त आक्षेपित निर्देश/आदेश के प्रभाव को स्थगित कर सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही आदेश पारित करते तो श्रेयष्कर होता परन्तु उन्होंने पहली तिथि पर ही बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपर जिलाधिकारी का प्रशासनिक आदेश अपास्त कर दिया गया। इस स्थिति में विद्वान अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत निगरानी के उत्तरदातागण को उनके समक्ष आक्षेपित आदेश वापस लिये जाने का आवेदन/प्रार्थना करने का विधिक् अधिकार है जिसका प्रयोग/उपयोग निगरानीकर्ता द्वारा नहीं किया गया है। वह अब भी इस विधिक् अधिकार का प्रयोग/उपयोग भी कर सकते हैं तदनुसार यह निगरानी अपरिपक्व/समयपूर्व (premature) है।

मैं इस निगरानी के उक्त स्पष्ट विधिक् स्थिति के दृष्टिगत, इससे संबंधित किसी गुण–दोष को छुऐ बिना एवं अवर न्यायालय के अभिलेख मंगाये बिना निगरानी को ग्रहण कर उसे अस्वीकृत करता हूँ एवं निगरानीकर्ता से अपेक्षा करता हूँ कि वे आक्षेपित निर्णयादेश दिनांक 01.07.2017 को वापस लिये जाने के संबंध में आवेदन/प्रार्थना विद्वान अपर आयुक्त के समक्ष विलम्बतम् दिनांक 23.10.2017 तक विधिवत् करें। ऐसा

आवेदन/प्रार्थना प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में विद्वान अपर आयुक्त विधिवत् सुनवाई कर इस संबंध में विधिवत् एक सुव्यक्त एवं सकारण आदेश पारित करेंगे। तब तक विद्वान अपर आयुक्त के आक्षेपित निर्णयादेश दिनांक 01.07.2017 का प्रभाव स्थगित रहेगा।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक **21.09.2017** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।